(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर ऋषभदेव

पीठासीन अधिकारी :– *शैलेष सुराणा (RAS)*

उनवान

भीमा–कगिरह बनाम गोपाल कगिरह

दावा बाबत धारा 88-53-188 RTA

मुकदमा नम्बर :– 8/2014-15-990

निर्णय दिनांक :– 23/7/2015

वादी की ओर से – की व प्रतिवादी की ओर से – की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 23/7/2015 को शैलेष सुराणा (नाम पीठासीन अधिकारी) **उपखण्ड अधिकारी ऋषभदेव** के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर– आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि –

वादीगण का वाद आंशिक हामी-डिक्री दी डिक्री शामिल किया जाता है।

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 23/7/2015 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(शैलेष सुराणा)
(पीठासीन अधिकारी)
उपखंड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
ऋषभदेव

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रूपया		रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प	6=00	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	1=00
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प	
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प	1=00	प्लीडर की फीस	
4. ____रूपये पर प्लीडर की फीस		साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
5. साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय		आदेशिका की तामील	
6. कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस	
7. आदेशिका की तामिल	6=00		
जोड	13=00	जोड	1=00